

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

क्रमांक/राजस्व/भू.रूपा./2019/

तारीख-15.04.2019

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र दत्त ब्राहमण, मण्डावर जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 10(4) के अधीन पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश जारी किये जाते हैं जिसकी, विशिष्टियां निम्नानुसार है-

1. आवेदक/खातेदारी अधिकारी का नाम पिता/पति के नाम सहित श्रीमती कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र दत्त ब्राहमण, मण्डावर जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)
2. कृ. आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है- नहीं
3. आदेश की सं. तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन :-आरए/भू.रूपा./2013/509-512 दिनांक 11.03.201, आरए/भू.रूपा./2013/524-527 दिनांक 11.03.2013, आरए/भू.रूपा./2013/514-517 दिनांक 11.03.2013

-आवासीय

या

आदेश की तारीख और संख्या उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवंटित की गई थी:-

4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन:- संस्थानिक (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)
5. संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा :-

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम:- ग्राम टहलडी/ऊकरुंद/मण्डावर
(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में):- 344/1 रकबा 0.2160 है. 344/2 रकबा 0.2150 है.
345/1 रकबा 0.25 है. कुल कित्ता 3 रकबा 0.68 है.

(ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल:- 2150, 2150, 2500 कुल क्षेत्रफल 6800 वर्गमीटर
टिप्पणी - अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रिमियम की दर पर:- 5.94/प्रति वर्ग मीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रिमियम की रकम, चालान की सं. तथा तारीख सहित :- 40392 रू.
चालान नं.439 दिनांक 11.03.2013 HEAD 0029 राशि 12771 रुपये
चालान नं.438 दिनांक 11.03.2013 HEAD 0029 राशि 14850 रुपये
चालान नं.441 दिनांक 11.03.2013 HEAD 0029 राशि 12771 रुपये
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रिमियम की दर:- 12.81/-प्रति वर्ग मीटर
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रिमियम के अन्तर की जमा कराई गई रकम :-

चालान नं. GRN29819092 दिनांक 11.04.2019 HEAD 0029 राशि 45358 रुपये

10. चालान की संख्या तारीख सहित शास्ति, यदि क्राई 30, की जमा कराई गई रकम:- नहीं
11. चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, कि. जमा कराई गई:- नहीं
12. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो:-

(1) राज्य सरकार द्वारा यदि कोई शुल्क निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने को सदैव बाध्य रहेगा।

(2) राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये हैं उनका पालना की जावेगी।

नोट- SH एवं M.D.R रोड की निर्धारित सीमा 40 मीटर छोड़कर एवं NH21 (पूर्व में NH 11) के मध्य से 40 मीटर एवं ग्रामीण सड़क/रास्ता के मध्य से 12.5 मीटर छोड़कर संपरिवर्तन किया गया है एवं इंडियन रोड काय्रेस के नियमानुसार/मापदण्ड अनुसार रोड के मध्य से दूरी छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जावेगा।

*3 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा:-

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन संभापृत हो जायेगा।
- (3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (4) सलग्न ले-आउट संपरिवर्तन आदेश का अभिन्न अंग रहेगा तथा भूमि का उपयोग तदनुसार ही किया जावेगा।

-sd-

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, महवा
महवा (विहित प्राधिकारी की मुहर)

तारीख-15.04.2019

क्रमांक/राजस्व/भू.रूपा./2019/661-665

प्रतिलिपि-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा।
2. तहसीलदार, मण्डावर।
3. ग्राम पंचायत ऊकरुंद।

4. पटवारी हल्का ऊकरुंद को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रेषित है।

5. आवेदक श्रीमती कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र दत्त ब्राहमण, मण्डावर जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)

6. कार्यालय आदेश।


प्राचार्य

आकाश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
ऊकरुंद, मण्डावर, दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, महवा
महवा (विहित प्राधिकारी की मुहर)

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

व
 शिक्षा समिति
 (राज०)

प्रपत्र "घ"
(देखिये नियम 9(3))

कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार), महवा जिला दौसा
संख्या: राजस्व/भू.रूपा./2011/

तारीख :- 6-11-13

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

कौशलया देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नि श्री महेन्द्रदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा (राज.) के आवेदन पर पहिले से अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 9(3) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता : कौशलया देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नि श्री महेन्द्रदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा (राज.)
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य है : - नहीं --
3. आदेश की सं० तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन : राजस्व/भू.रूपा./13/519-522 या - आवासीय -
आदेश की तारीख और सं० उपदर्शित करते हुए प्रयोजन विनियम के लिये भूमि आवंटित की गई थी :
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :- संस्थानिक (शिक्षण)
5. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :- ग्राम टहलडी/ऊकरुंद/ महवा
(ख) भूमि का खसरा सं० और प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल (हेक्टर में) 345/1/2/1 रकबा 0.25
(ग) प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर
टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें।
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :- 5.94/- प्रति वर्गमीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा करायी गई प्रीमियम की रकम, चालान की सं० तथा तारीख सहित :- 440 Dt. 11-03-13 प्रीमियम-14850/-
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :- 10.02/- प्रति वर्गमीटर
9. चालान की सं० तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर्ग की जमा करायी गई रकम :- 159 Dt. 1-11-13 प्रीमियम-10200/-
10. चालान की सं० तथा तारीख सहित शांति, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
11. चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :- - नहीं -
12. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :-
13. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूत हो जायेगा।
(3) नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
नोट :- S.H. एवं M.D.R. रोड की निर्धारित सीमा 35 मीटर छोड़कर एवं NH-11 के मध्य से 40 मीटर छोड़कर संपरिवर्तन किया गया है व इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार रोड के मध्य से 40 मीटर छोड़कर पुन्ना निर्माण किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी की मुहर

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
महवा (दौसा)
(जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

सं० राजस्व/भू.रूपा./2013/
प्रतिलिपि :-

762-66

तारीख :- 6-11-13

1. श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा
2. तहसीलदार, महवा
3. ग्राम पंचायत, ऊकरुंद/ पटवारी हल्का ऊकरुंद
4. आवेदक कौशलया देवी शिक्षा समिति मण्डावर जरिये उपाध्यक्ष माया देवी पत्नि श्री महेन्द्रदत्त जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा (राज.)
5. आदेश पत्रावली

आकाश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
ऊकरुंद, मण्डावर, दौसा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

सचिव
कौशलया देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

महाराष्ट्र शासन

21/11-2013
दंड - 1200/-
मि.सं. 1000
महाराष्ट्र शासन, 2000/-

मि.सं. 1000
25/11/13

| | | |
|-----|-----|-----|
| 387 | 387 | 387 |
| 9 | 9 | 2 |
| 387 | 387 | 387 |
| 9 | 9 | 9 |
| 387 | 387 | 387 |
| 9 | 9 | 9 |

P-35 कागद 37802
28/10/13

सचिव
कौशल्या
28/10/13

C.S.
[Signature]

C.S.
[Signature]

महाराष्ट्र शासन

BY
प्राचार्य

आकाश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
अकलूंद, मण्डावर, दौसा (राज.)

[Signature]

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज.)